(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3(84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288

Dated:

49/3/41

Notification No. 35/2020- State Tax

No. F.3(84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/- In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

- (i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of June, 2020, including for the purposes of--
 - (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or
 - (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below -

- (a) Chapter IV;
- (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);

- (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
- (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;
- (ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

No. F.3(84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/28

Dated: 24/3/2/

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

- 2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

12. Guard File.

(Manoj Kumar) Dv. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (ट्यय–IV) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं.फा. 3(84) / वित्त(व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / २८८

दिनांकः 24/3/21

अधिसूचना संख्या 35/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(84) / वित्त (ट्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोवीड-19 के प्रसार के मद्देनजर परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि -

- (i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा जून, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी
 - (क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या
 - (ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है –

- (क) अध्याय IV;
- (ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;
- (घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा
- (ङ) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

- (ii) जहां दिल्ली माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई—वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अविध, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई—वे बिल की वैधता अविध को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा ।
- 2. इस अधिसूचना को मार्च, 2020 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

्रिकार कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)

सं.फा. 3(84) / वित्त(व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / र्ट 🖁 🔗

दिनांकः २५/3/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

🔰 वेब साईट।

12. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)